

शरावती जलवदियुत परियोजना को NBWL की स्वीकृति

[स्रोत: द हट्टि](#)

कर्नाटक में शरावती पंप स्टोरेज जलवदियुत परियोजना को [राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड \(NBWL\)](#) से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, हालाँकि पश्चिमी घाट स्थिति शरावती घाटी लायन-टेलड मेकाक अभयारण्य पर इसके पारस्थितिकीय प्रभाव को लेकर चर्चाएँ बनी हुई हैं।

- अब यह परियोजना अंतमि NBWL अनुमोदन के लिये वापस लौटने से पहले वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन प्राप्त करेगी।

शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य


- यह कर्नाटक के शिवमोग्गा ज़िले में शरावती नदी घाटी में स्थित है और पश्चिमी घाट में 431.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह क्षेत्र वनस्पत और जीव-जंतुओं की प्रचुरता के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ धूपा, गुलमावु और नंदी जैसी प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
- वन्यजीवों में बाइसन, चित्तीदार हरिण, बाघ, तेंदुआ और लायन-टेलड मेकाक शामिल हैं।
- प्रमुख आकर्षणों में जोग जलप्रपात, लगिनमक्की जलाशय और वविधि प्रकार के पशु-पक्षी शामिल हैं।

शरावती पंपड स्टोरेज जलवदियुत परियोजना

- यह शरावती घाटी लायन-टेलड मेकाक अभयारण्य में प्रस्तावित 2,000 मेगावाट की परियोजना है, जो ग्रडि स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा के लिये पंप स्टोरेज प्रणाली का उपयोग करती है। इसमें गेरुसोपपा (नचिला) और तालाकाले बाँध (ऊपरी) के बीच भूमिगत टरबाइनों के माध्यम से जल प्रवाह किया जाएगा।

पश्चिमी घाट

भारत के चार जैवविविधता हॉटस्पॉट में से एक; यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त (2012)



नाम

सहाद्री- उत्तरी महाराष्ट्र; सह्य पर्वतम- केरल

पर्वत प्रकार के बारे में विविध दृष्टिकोण

दृष्टिकोण 1: अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बने वाले भ्रंशोत्थ पर्वत
दृष्टिकोण 2: वास्तव में पर्वत नहीं बल्कि दक्कन के पठार के भ्रंशोत्थ कगार/किनारे

प्रमुख चट्टानें

बेसाल्ट, ग्रेनाइट नीस, खोंडालाइट, कार्यांतरित नीस, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, लौह अयस्क

भौगोलिक विस्तार

सतपुड़ा (उत्तर में) से तमिलनाडु के अंत तक कन्याकुमारी (दक्षिण में)

पर्वत श्रृंखलाएँ

नीलगिरी पर्वतमाला, शेवाराँय और तिरुमला श्रृंखला
सबसे ऊँची चोटी- अनामुडी (केरल)

नदियाँ (उदगम)

पश्चिम की ओर बहने वाली: पेरियार, भरतपुझा, नेत्रवती, शरावती, मंडोवी
पूर्व की ओर बहने वाली: गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती, काबिनी

स्थानिक प्रजातियाँ

नीलगिरी तहर (IUCN स्थिति - EN)
शेर पूँछ मकाक (IUCN स्थिति - EN)

महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र

बायोस्फीयर रिज़र्व- अगस्त्यमाला और नीलगिरी
राष्ट्रीय उद्यान- साइलेंट वैली, बांदीपुर, एराविकुलम, वायनाड-मुदुमलाई, नागरहोल
बाघ अभयारण्य- कलक्कड़-मुंडनथुराई, पेरियार

प्रमुख दर्रे

थाल घाट दर्रा (कसारा घाट) अम्बा घाट दर्रा
भोर घाट दर्रा नानेघाट दर्रा
पलक्कड़ दर्रा (पाल घाट) अम्बोली घाट दर्रा

महत्त्व

जलविद्युत उत्पादन
भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है
कार्बन पृथक्करण (हर साल ~ 4 MT कार्बन को निष्प्रभावी बनाना)
जैवविविधता के 8 वैश्विक सबसे महत्त्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक (प्रजातियों और स्थानिकता की समृद्धि के कारण)
लोहा, मँगनीज और बॉक्साइट अयस्कों, इमारती लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ऑयल पाम और रबर से समृद्ध
सर्वाधिक आदिवासी आबादी (PVTGs सहित)
महत्त्वपूर्ण पर्यटन/तीर्थस्थल

प्रमुख खतरे

खनन, औद्योगीकरण
वनोपज का बढ़े पैमाने पर दोहन
मानव-वन्यजीव संघर्ष, अतिक्रमण, अवैध शिकार
पशुओं की चराई, वनों की कटाई
बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ
जलवायु परिवर्तन

प्रमुखी समितियाँ


गाडगिल समिति (2011) (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति)
सिफारिशें: श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमित विकास के साथ समूचे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में घोषित किया जाना चाहिये।
कस्तूरिंगन समिति (2013)
सिफारिशें: समूचे क्षेत्र के वजाय, पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के तहत लाया जाए + ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।



राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) क्या है?

- परिचय: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) एक वैधानिक निकाय है, जिसे वर्ष 2003 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत गठित किया गया था। यह भारतीय वन्यजीव बोर्ड (1952) का स्थान लेकर वन्यजीव संरक्षण और वन विकास पर सर्वोच्च परामर्शदाता संस्था के रूप में कार्य करता है।
- संरचना: NBWL एक 47-सदस्यीय वैधानिक बोर्ड है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं।
 - सदस्यों में थल सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, वयस सचिव जैसे अधिकारी शामिल होते हैं, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा नामित 10 प्रतिष्ठित संरक्षण विशेषज्ञ भी सदस्य होते हैं। वन महानिदेशक (वन्यजीव) के अतिरिक्त महानिदेशक इस बोर्ड के सदस्य-सचिव होते हैं।

- **प्रमुख कार्य:** यह केंद्र सरकार के लिये एक **सलाहकार निकाय** है, जो **वन्यजीव संरक्षण** नीतियों का मार्गदर्शन करने, **वन्यजीव संरक्षण** से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिये ज़िम्मेदार है।
 - यह **संरक्षित क्षेत्रों (PA)** और **पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों** (10 कमी के भीतर) में और उसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है।
- **स्थायी समिति:** **स्थायी समिति** NBWL के अंतर्गत एक छोटी संस्था है जिसमें अधिकतम **10 सदस्य** होते हैं, जिसकी अध्यक्षता **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री करते हैं।
 - यह एक **परियोजना मंजूरी निकाय** के रूप में कार्य करता है, जो **संरक्षित क्षेत्रों** और **पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों** में प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिये ज़िम्मेदार है, जबकि पूरण NBWL **व्यापक नीतित्त नरिण्यों** पर ध्यान केंद्रित करता है।



वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:** वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद 48 A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद 51 A (g):** वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
 - ⊕ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
 - ⊕ एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
 - ⊕ जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
 - ⊕ IDHW, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

■ **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- ⊕ ऑपरेशन सेव कुर्मा
- ⊕ ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेड (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- ⊕ वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- ⊕ जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- ⊕ जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- ⊕ विश्व विरासत सम्मेलन
- ⊕ रामसर कन्वेंशन
- ⊕ वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- ⊕ यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- ⊕ अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- ⊕ प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ⊕ ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

लायन-टेल्ड मेकाक से संबंधित मुख्य बंदि क्या हैं?

- लायन-टेल्ड मेकाक (मेकाक सलिनस) विश्व की एक पुरानी बंदर प्रजाति है जो भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है।
 - इसे "वांडरू" या "बयिर्ड अपे" भी कहा जाता है, यह अपने काले चेहरे और टोड़ी के चारों ओर वशिष्ट हल्के रंग के अयाल (बालों का घेरा) के लिये जाना जाता है।
- प्रमुख वशिष्टाएँ:
 - आकार: यह मेकाक बंदरों में सबसे छोटे प्राणियों में से है; इसका वजन 2 से 10 किलोग्राम के बीच होता है, शरीर की लंबाई 42 से 61 सेमी है, और पूंछ लगभग 25 सेमी लंबी होती है
 - स्वरूप: सिर और टोड़ी के चारों ओर हल्के भूरे/चांदी रंग के बालों के साथ काला फर।
 - सामाजिक व्यवहार: पदानुक्रमित समूहों (10-20) में रहता है; शरमीला और क्षेत्रीय। प्रमुख नर घुसपैठियों को चेतावनी देने के लिए ऊँची आवाज़ में 'हूप' की आवाज़ निकालते हैं।
 - सक्रियता क्षेत्र: पेड़ों पर रहना पसंद करता है, खासकर ट्रॉपिकल आर्द्र सदाबहार जंगलों की ऊपरी छतरी (कैनोपी) में अधिक समय बतितता है।
- आवास एवं वितरण:
 - पश्चिमी घाटों में स्थानिक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है; अप्रभावित, नरितर सदाबहार वन को पसंद करता है, वखिंडन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील।
 - अनामलाई हिल्स, नेलियामपैथी, नीलांबुर घाट, शोलायार, गवी, सबरीमाला, वल्लीमलाई हिल्स, अगुम्बे और वालपराई पठार (अनामलाई टाइगर रज़िर्व) जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है।
- आहार और पारस्थितिक भूमिका: यह मुख्य रूप से फलभक्षी है, फल, बीज, पत्ते, कलियाँ, कीड़े और छोटे कशेरुकी जीव खाता है। यह बीज प्रसार और वन पारस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- खतरे: वनों की कटाई, कृषि, शहरीकरण के कारण 99% से अधिक आवास नष्ट हो गए, जिसके कारण वखिंडन, प्रतिबंधित आवागमन और आनुवंशिक प्रवाह हुआ।
 - आवास क्षरण और भोजन की कमी के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है।
 - केरल वन अनुसंधान संस्थान (KFRI) और मैसूर विश्वविद्यालय (2024) की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 4,200 ही बचे हैं, जो मूल आबादी का केवल 25% है।
- संरक्षण की स्थिति:
 - IUCN लाल सूची: संकटग्रस्त
 - CITES: परशिष्ट।
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची।

नोट: मानवीय दबाव के बीच रणनीतिक आवास उपयोग

- केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में वन्यजीव अध्ययन केंद्र (CWS) द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया कलायन-टेल्ड मेकाक मानव उपस्थिति के आधार पर अपने व्यवहार को अनुकूलित करते हैं।
 - बफर ज़ोन (अधिक अशांत क्षेत्र) में रहने वाले एक दल ने छोटे क्षेत्र में सीमित रहकर ज़्यादातर समय मध्य छायादार हस्से (कैनोपी) में रहते हैं (94.2%) तथा ज़मीन से रहने से बचते।
 - इसके विपरीत कोर ज़ोन (कम परेशान) में एक दल ने एक बड़े क्षेत्र का उपयोग किया और वन तल का भी उपयोग किया, जिससे प्रजातियों की पारस्थितिक लचीलापन प्रदर्शित हुआ।

LION-TAILED MACAQUE

POPULATION

UNDER 4000

LIFE SPAN

ABOUT 20 YEARS



WEIGHT

Males 7 kg
Females 5 kg

LTM'S ARE FRUGIVORES

FEED ON: jackfruit, *Cullenia exarillata* (Indian wild durian) seeds, and sometimes insects, small reptiles, and mammals.

ROLE IN THE FOREST


Seed dispersal agents.
Carry food stored in their cheek pouches over significant distances in the forest. Seeds are also spread through droppings.

ALL IN THE FAMILY

- Live in troops of 10-25 members, who roam, occupy, and patrol a home area of about 5 square kilometres.
- Troops have a dominant male.

BABIES

Female LTMs achieve sexual maturity at age 5, males at 6. A female will have one baby once in three years. Maximum 3 babies in her lifetime.



GEOGRAPHICAL RANGE

Southern and Central Western Ghats. States of Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu

HABITAT

UPPER CANOPY OF MATURE RAINFORESTS

COOO...

one of 17 sounds and facial gestures an LTM makes to communicate


WHAT WE CAN ALL DO

- If you spot them, don't feed them.
- Don't speed on roads through forests
- Be mindful of wildlife crossing
- Don't litter, dispose all waste in proper bins.

This Old World monkey is an arboreal creature, usually found high up in the canopy

WHAT'S IN A NAME?

The lion-tailed macaque is *Macaca silenus*. The Latin name means "monkey deity of the woodlands". In some areas they are also called wanderos.



THREATS

- Fragmentation of forests.
- Roads cutting through forests, breaking the canopy.
- Expansion of human settlements and agriculture has shrunk their spaces.
- Contact with human beings and livestock causes risk of disease.



CONSERVATION STATUS THEIR FUTURE IS BLEAK. THOUGH NUMBERS HAVE IMPROVED SLIGHTLY IN THE LAST DECADE, THEY REMAIN ENDANGERED.

SAVING LTMS There is hope. Dedicated organisations like the Nature Conservation Foundation (with a field base in Valparai) are working to find solutions to the threats LTMs face.



CANOPY BRIDGES have been created across some roads that cut through the forests. LTMs can use these to cross forest patches without coming to ground level.

ILLUSTRATION: RIHAN DAHOTRE PHOTO: DHIRTIMAN MUKHERJEE, TEXT: VRUSHAL PENDHARKAR, DESIGN: DIVYA MEHRA

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????????

प्रश्न. नमिनलखिति में से जानवरों का कौन-सा समूह लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है? (2012)

- (A) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई जंगली गधा
- (B) कश्मीरी हरिण, चीतल, नील गाय और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
- (C) हमि तेंदुए, सवैप हरिण, रीसस बंदर और सारस (करेन)
- (D) शेर पूँछ वाले मकाँक, नील गाय, हनुमान लंगूर और चीता

उत्तर: (a)

प्रश्न. यदकिसी पौधे की वशिष्ट जातको वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? (2020)

- (a) उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है।
- (b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परस्थिति में नहीं हो सकती।
- (c) यह एक आनुवंशिकित: रूपांतरित फसली पौधा है।
- (d) ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारतंत्र के लिये हानिकारक होता है।

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nbwI-approval-to-sharavathi-hydroelectric-project>

